Manufacture of pulp and paper in India and USSR

1924. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering proposals for establishing joint ventures in India and USSR for the manufacture of pulp and paper; and

(b) if so, what are the details of the proposals and the decision of Government on the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Explanatory talks have been held between the officials of USSR and India on the possibility of mutual cooperation in the field of pulp and paper manufacture, including setting up of joint ventures. However, concrete proposals are yet to emerge in this regard.

दिल्ली में किरायेदारों को विद्युत कनेक्शन

1925. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य में किरायेदारों को घरेलू व वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन दिये जाने के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकानदार द्वारा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" न दिये जाने की दशा में किरायेदारों को नया कनेक्शन नहीं दिया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली में घरेलू/वाणिज्यिक कनेक्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया, दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1959, सांविधिक कानून/नियम, दिल्ली प्रशासन के अनुदेश, सप्लाई की शर्तें तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा नियंत्रित होती है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, कोई भी किरायेदार निर्धारित फार्म के साथ किराये की नवीनतम रसीद आदि जैसे वैध कब्जा के लिखित प्रमाण, तथा निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने पर किसी विद्युतीकृत क्षेत्र में घरेलू/वाणिज्यिक बिजली के कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता है । नवीनतम किराए की रसीद अथवा अन्य किसी प्रकार का लिखित प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने पर, जिस अहाते के लिए कनेक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए वैद्य निवास हेतु क्षतिपूर्ति बांड सहित हल्फनामा भी प्रस्तुत किया जा सकता है । किसी भी किराएदार द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बिजली का कनेक्शन लेने हेतु डेसू द्वारा मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए आग्रह नहीं किया जाता है ।

नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में, अगर कोई किराएदार किराएदारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है ।

बिजली का नकली सामान बनाने वाली फर्म

1926. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स नाम भारी इलेक्ट्रीकल वर्क्स, सी.-568 नई

सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली और रेलवे क्रासिंग के निकट दुकान नं० 3 समयपुर, बवाना रोड, दिल्ली गैर-कानूनी तौर पर बिजली का नकली सामान बनाने तथा उसे खुले बाजार में बेचने में लगे हुए है ;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार निर्माता के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हा, तो इस सबंध मे ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार मै० नामधारी इलेक्ट्रिकल वर्कस, सी–568, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली और रेलवे क्रासिंग के निकट दुकान नं० 3 समयपुर, बवाना रोड, दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर बिजली का नकली सामान बनाने और उसे खुले बाजार में बेचने में ही लगे हैं ।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Appointment of management and technologies International INC with NRI

1927. SHRI CHITTA BASU:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister to INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Government have finally decided to appoint the Management and Technologies International Inc. (MTII) a consultancy firm with a group of Non-resident Indians (NRI) as consultancy agency for six core sector companies—BHEL, Engineers India, ONGC, NTPC, Coal India and SAIL;

(b) if so what is the rationale behind this; whether MTII does not posses adequate experience in this field; and

(c) what are the details of the terms and conditions for such appointment?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (c) The Government have approved formation of a Joint Venture Company by six Public Sector companies with a non-resident Indian company formed in America, to provide modern management and technological services to the public enterprises with foreign back-up support. The Joint Venture Company shall secure consultancy jobs in open competition by providing their technological competence and cost competitiveness and the company shall not get any price preference.

Industries in the tribal areas of Bihar

1928. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any industries are located in the tribal areas of Bihar;

(b) if so, what are the names of such industries and the places at which they are located; and

(c) what is the number of Scheduled Tribes persons employed in such industrial units?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Information regarding industries located in different regions of the country including tribal areas and the number of Scheduled Tribe person employed in such industries is not maintained centrally in the Ministry of Industry. However, so far as the information regarding industrial licences is concerned, a total of 6 industrial licences (including 4 Carry-on Business Licences) have been granted during the last 3 calendar years *i.e.* 1985 to 1987 for setting up industries in centrally declared backward, districts of Bihar, viz. Bhojpur, Bhagalpur, Purnea, Gaya and Aurangabad. These licences relate to the manufacture of items pertaining to Metallurgical Industries, Ceramics, Textiles and Timber Products.